भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 396

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- सरसों और बाजरा उत्पादक किसानों की आय

396. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरसों और बाजरा उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से राजस्थान के किसानों को कितना लाभ हुआ है;

(ग) इस संबंध में मूल्यवर्धन, भंडारण और विपणन अवसंरचना के विकास के लिए क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) क्या करौली-धौलपुर क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार सरसों और बाजरा उगाने वाले किसानों सहित किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सहित देश भर में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना, खेती की पूरी लागत को कम करना, उत्पादन जोखिम को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है विवरण **अनुबंध 1 पर दिया गया है।** राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) का उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के लिए सरसों और रेपसीड सहित घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाना है। राजस्थान में इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 74.90 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत श्री अन्न उप-मिशन राजस्थान सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में मिलेट सहित मिलेट उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन और अन्य कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान में मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 127.53 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि मूल्यवर्धन, फसलोपरांत प्रबंधन, भंडारण और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत स्थानीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, फसलोपरान्त प्रबंधन, प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार संपर्कों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य-विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

एआईएफ के तहत, 8,123.67 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 6,544 परियोजनाओं के लिए 4,895.13 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। करौली जिले में, 25.19 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 20 परियोजनाओं के लिए 14.39 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। धौलपुर जिले में 52.22 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 25 परियोजनाओं के लिए 25.11 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

आईएसएएम के तहत, 39.53 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता की 1,934 भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को 30.06.2026 तक 151.49 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने में सहायता प्रदान की गई है। भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त, 610 मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (भंडारण के अतिरिक्त) परियोजनाओं को भी 106.94 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने में सहायता प्रदान की गई है। करौली और धौलपुर जिले में 5,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली 1-1 परियोजना है, जिसके लिए क्रमशः 37.50 लाख रुपये और 25.00 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

करौली-धौलपुर क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध 1

कृषि में राज्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
6. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
8. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
9. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
10. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ)
11. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
14. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
15. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
16. 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
